राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
RITES LIMITED
(Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India)

No. RITES/SECY/NSE **Date: June 04, 2026**

To लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी -1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051	To कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Symbol- RITES	**Scrip Code-** 541556

Subject: Newspaper publication for mandatory transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed the copies of advertisement published in newspapers regarding notice to shareholders for mandatory transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority published in Newspapers viz. all editions of Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi) on June 04, 2026.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours sincerely,
For **RITES Limited**

NIKHIL AGARWAL
Digitally signed by NIKHIL AGARWAL
Date: 2026.06.04 10:45:55 +05'30'

Nikhil Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A42626

कॉर्पोरेट कार्यालयः शिखर, प्लॉट नं॰ 1, सेक्टर–29, गुरूग्राम–122 001 (भारत), **Corporate Office:** Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurugram-122 001 (INDIA)
पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110 092 (भारत), **Registered Office:** SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi- 110 092 (INDIA)
दूरभाष (Tel.): (0124) 2571666, फैक्स (Fax): (0124) 2571660, ई.मेल (E-mail) info@rites.com वेबसाइट (Website): www.rites.com
CIN: L74899DL1974GOI007227

₹9,585-cr scheme to replace old trucks, buses in Delhi-NCR: Govt

Incentives will be given to owners of BS-IV and older vehicles for upgrading to BS-VI-compliant vehicles FILE PHOTO

NITIN KUMAR
New Delhi, June 3

THE UNION CABINET on Wednesday approved a two-year incentive scheme with an outlay of ₹9,585 crore aimed at replacing older, polluting trucks and buses in the Delhi-NCR area. The scheme will provide incentives to owners of BS-IV and older commercial vehicles for upgrading to BS-VI-compliant or electric vehicles.

The total outlay of ₹9,585 crore includes ₹5,041 crore from the Centre and an estimated ₹1,601 crore in tax concessions from participating states. The scheme will be funded through the National Capital Region Planning Board (NCRPB) under the Ministry of Housing and Urban Affairs.

It will be jointly implemented by the Ministry of Road Transport and Highways and the Ministry of Petroleum and Natural Gas in coordination with Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh.

The government estimates that about 207,000 vehicles, including 191,000 trucks and 16,329 buses, will be covered under the scheme. Under the scheme, owners of BS-III and older vehicles will have to scrap their vehicles at authorised facilities. BS-IV vehicles can either be scrapped or sold outside the NCR area in non-National Clean Air Programme cities and towns.

To qualify for getting financial benefits, vehicle owners must purchase and register a BS-VI-compliant or electric replacement vehicle within NCR. In Delhi, however, light-goods vehicles bought under the scheme must be electric.

Cabinet nod to road projects in four states

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, June 3

THE UNION CABINET on Wednesday approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradeep in Odisha at a total project cost of ₹8,300.79 crore.

The new coastal highway from Rameshwar to Paradeep will be constructed on a hybrid annuity model, in two packages, with a combined total length of 160.18 km, an official statement said.

According to an official statement, the project section of the new coastal highway passes through Khordha, Puri, Kendrapada and Jagatsinghpur districts of Odisha.

The statement said upon completion, travel time is expected to reduce by about 2 hour and 30 minutes between Rameshawar and Paradeep.

The Cabinet also approved two road projects entailing an investment of ₹4,415.60 crore in Madhya Pradesh.

The coastal highway project in Odisha will cost ₹8,300 crore, while road projects in MP and Bihar will cost ₹4,416 crore and ₹3,936 crore respectively

The projects are for upgradation of the existing intermediate lane to two-lane with paved shoulder standard of Hiwarkhedi-Roshni-Ashapur-Rudhy section of NH-347B and widening of existing two-lane to four-lane from Deshgaon-Julwaniya Section of NH-347B of 108.643 km length in Madhya Pradesh on hybrid annuity mode.

Further, the Cabinet approved two major National Highway widening projects in Telangana spanning 190.76 km at a cost of ₹7,597.16 crore.

The projects involve widening of the Armoor-Jagtial-Mancherial Section of NH-63 on the hybrid annuity model and the Jagtial-Karimnagar section of NH-563 on build-operate-transfer to the four-lane standard in the southern state.

The Cabinet also approved the upgradation of the Khagaria-Purnea section of NH-31 and NH-231 to a four-lane highway in Bihar on Build-Operate-Transfer toll model for ₹3,936.05 crore.

RITES LIMITED
(A Navratna CPSE)

Registered Office: SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi – 110092
Website: www.rites.com; E-mail: cs@rites.com
CIN: L74899DL1974GOI007227

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice for transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (IEPF Rules, 2016) and statutory amendment thereunder, the Company is required to transfer the amount of unpaid dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the Investor Education and Protection Fund set up by the Central Government.

Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall also liable to be transferred to Demat Account of IEPF Authority.

Details of the shareholders in respect of shares for which dividend had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years and liable to be transferred to the IEPF Authority's Demat Account, are available on the website of the Company at https://www.rites.com/InvestorResource.

The Final Dividend for financial year 2018-19 @ Rs.4/- per equity share was paid on August 19, 2019. As per the provisions of the Companies Act, 2013, the unpaid and unclaimed amounts of the Final Dividend for financial year 2018-19 became due for transfer to Investor Education and Protection Fund in the month of October, 2026. The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF Authority's Demat Account.

Shareholders may please note that if any amount /shares are transferred to the IEPF Authority, then the same has to be claimed from the 'Investor Education and Protection Fund Authority' following the procedure as provided under the Companies Act, 2013 and IEPF Rules, 2016.

To avoid the inconvenience of claiming the refund/ shares from 'Investor Education and Protection Fund Authority', shareholders who have not received/ claimed/ encashed warrant(s) relating to the Final Dividend for financial year 2018-19, may lodge their claims with the RTA i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062. Tel.: (011)29961281, 29961283, Fax: (011)- 29961284 and Email: beetalrta@gmail.com and rites@beetalfinancial.com or with the Nodal Officer i.e. Company Secretary of the Company at the Corporate Office of the Company at SHIKHAR, Plot No.1, Sector-29, Gurugram, Haryana-122001. Shareholders may kindly ensure that claim, if any, shall be received by the RTA/ Company on or before September 20, 2026 to ensure that unclaimed/ unpaid dividend amount and shares are not transferred to the IEPF Authority.

Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant details updated with their Depository Participant (DP), in case of shares held in dematerialized form and with the Company/ RTA, in case of shares held in physical form.

Date: 04.06.2026
Place: Gurugram

For and on behalf of RITES Ltd.
Sd/-
(Nikhil Agarwal)
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: A42626

We Shape What Shapes Lives
www.rites.com
Future Ready Not just more of the same; but much more of the New!

From the House of P. N. GADGIL & SONS 1832 Gold | Silver | Diamonds
REVA DIAMONDS

PNGS Reva Diamond Jewellery Limited

CIN:L32111PN2024PLC236494
Abhiruchi Mall, 59/1C, Wadgaon Budruk, Sinhgad Road, Pune, 411041, Maharashtra, India
Website: www.revabypng.com | Email: investor@revabypng.com | Phone No. : +91 020 29980704

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Second Annual General Meeting ("AGM") of the Members of PNGS Reva Diamond Jewellery Limited ("the Company") will be held on Wednesday, June 24, 2026 at 12:00 PM (IST) through Video Conferencing ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM dated May 11, 2026 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI). Electronic copies of the notice of the AGM which inter-alia includes procedure and instructions for e-voting and the Annual Report for the financial year 2025-26 has been sent on June 03, 2026 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA or the Depositories. The Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same at investor@revabypng.com mentioning their Folio no./DP ID and Client ID.

The Notice and the Annual Report for the financial year 2025-26 is available on the following links:

Company Website:	
a) Notice of AGM	Link: https://www.revabypng.com/agm-eogm Path:https://www.revabypng.com/>> Investor>> AGM/EOGM>> AGM Notice 2025-26
b) Annual Report for the financial year 2025-26	Link: https://www.revabypng.com/annual-report Path: https://www.revabypng.com/>> Investor>> Annual Report>> Annual Report 2025-26
National Securities Depository Limited (NSDL)	https://www.evoting.nsdl.com
BSE Limited National Stock Exchange of India Limited	www.bseindia.com www.nseindia.com

Manner of casting votes electronically:
Pursuant to the provisions of the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the AGM Notice using electronic voting through remote e-voting system.

Scrutinizer:
CS Ruchi Bhave, Practicing Company Secretary (FCS: 13324, CP: 27019) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Cut-off date:
The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e., Wednesday, June 17, 2026.

Details of e-voting period:

Start date and time	From 9.00 a.m. (IST) on June 19, 2026
End date and time	Upto 5.00 p.m. (IST) on June 23, 2026

During the aforesaid period, Members holding equity shares of the Company, either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL e-voting thereafter. Those Members, who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system of NSDL made available by the Company during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM are requested to also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing Login ID and password for casting the votes.

In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com.

Date: June 03, 2026
Place: Pune

For PNGS Reva Diamond Jewellery Limited
Sd/-
Kirti Vaidya
Company Secretary and Compliance Officer
ACS - 31430

मालवीय नगर अग्निकांड

एलजी ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

मालवीय नगर के हौज रानी स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार देर शाम आपातकालीन समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद सहित पुलिस, प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

उपराज्यपाल ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देते हुए राजधानी में अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन की व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया। बैठक में तय किया गया कि गुरुवार से राजधानी में एक महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी होटल, लाज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। अभियान का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही अग्निशमन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक का उद्देश्य आग की घटनाओं की रोकथाम, नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए बहु-विभागीय कार्ययोजना तैयार करना था। इसके तहत दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पर्यटन विभाग क्षेत्रवार होटल एसोसिएशनों के साथ बैठकें करेंगे और उन्हें अग्नि सुरक्षा नियमों तथा लाइसेंस की शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देंगे। अनुमति से अधिक बनाए गए कमरों को भी बंद कराया जाएगा।

पंद्रह दिन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि सभी व्यावसायिक परिसरों को अगले 15 दिनों के भीतर अपने अग्निशमन उपकरण, पानी के टैंक और आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नोटिस और संदेश भेजे जाएं। यह प्रक्रिया चार जून से शुरू होगी। अधिकारियों द्वारा इन परिसरों का आडिट भी किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देश डिजिटल माध्यम से व्यावसायिक इमारतों और आरडब्ल्यूए तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि भवन स्वामी अपनी व्यवस्थाओं की स्वयं समीक्षा कर सकें और आवश्यक सुधार कर सकें।

मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त करेंगे निगरानी

उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पूरे अभियान की संयुक्त निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों, जिला पुलिस उपायुक्तों, एमसीडी अधिकारियों और दमकल विभाग के प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य संबंधित विभाग इन अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट सौंपेंगे।

आइएसआइ गठजोड़ से जुड़े व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ और डी-कंपनी के एक कथित गुर्गे से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति को बहु-एजंसी अभियान में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध की पहचान हुजैफा के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया कि उसे केंद्रीय एजंसियों और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि हुजैफा को मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक प्रमुख चेहरे मुन्ना झिंगाड़ा का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जिसके कराची से सक्रिय होने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार, जांच एजंसियां कथित मुंबई अंडरवर्ल्ड-आइएसआइ गठजोड़ की जांच कर रही हैं और इस मामले में हाल ही में मुंबई के विभिन्न स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान और छापेमारी की गई थी। पुलिस सूत्र ने कहा कि जांच में संकेत मिले हैं कि हुजैफा को झिंगाड़ा ने ऐसा काम सौंपा था, जिसका उद्देश्य देश में भय फैलाना और दहशत का माहौल उत्पन्न करना था।

सूत्रों ने बताया कि हुजैफा को गुरुवार को अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि उम्मीद है कि विशेष प्रकोष्ठ उसकी हिरासत का अनुरोध कर सकती है।

> **पुलिस** सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध की पहचान हुजैफा के रूप में हुई है। उसे केंद्रीय एजंसियों और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। हुजैफा को मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक प्रमुख चेहरे मुन्ना झिंगाड़ा का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जिसके कराची से सक्रिय होने का संदेह है।

दिल्ली सरकार ने भोजन और शयनकक्ष की नीति वापस ली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो जाने के बाद, दिल्ली सरकार ने अपनी 'भोजन और शयन कक्ष संस्थापन' (बीएंडबी) योजना को आधिकारिक रूप से वापस लेने और इसके तहत संचालित सभी प्रतिष्ठानों की समीक्षा करने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह घोषणा बुधवार सुबह 'फ्लरिश स्टे बीएंडबी' में लगी भीषण आग के बाद की गई। कपिल मिश्रा ने कहा, 'हम आधिकारिक तौर पर 'भोजन और शयन कक्ष संस्थापन' योजना को वापस लेने जा रहे हैं और इसके तहत लाइसेंस प्राप्त सभी प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।'

मंत्री ने कहा, 'लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि इस योजना के तहत पंजीकृत कोई भी प्रतिष्ठान छह से अधिक कमरे संचालित करते हुए पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।' मिश्रा के अनुसार, 'फ्लरिश स्टे' को 2024 में बीएंडबी योजना के तहत सिल्वर श्रेणी में छह कमरों के लिए लाइसेंस दिया गया था, जिसकी वैधता 2027 तक थी। हालांकि, जांचकर्ताओं ने बताया कि यह होटल कथित तौर पर अपनी स्वीकृत क्षमता से लगभग चार गुना अधिक कमरे संचालित कर रहा था और उसके पास अनिवार्य अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी नहीं था। इस मामले में पर्यटन विभाग की भूमिका स्पष्ट करते हुए मिश्रा ने कहा कि विभाग की जिम्मेदारी काफी हद तक लाइसेंस देने, उनके नवीनीकरण और निरीक्षण के दौरान नियमों के पालन की जांच करने तक ही सीमित है।

इंद्रप्रस्थ विवि ने 'लेटरल एंट्री' शुरू की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 जून।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने विज्ञान स्नातकों के लिए बीटेक प्रोग्राम में सीधे दूसरे वर्ष (तीसरे सेमेस्टर) में दाखिले के लिए लेटरल एंट्री की विशेष सुविधा शुरू की है।

इस पाठ्यक्रम (कोड-129) में दाखिला आफलाइन काउंसलिंग और विश्वविद्यालय के 'कामन एंट्रेंस टेस्ट' के आधार पर होगा। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक इस बाबत काउंसलिंग 5 जून को द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी। गणित के साथ बीएससी उत्तीर्ण छात्र जिन्होंने कम से कम 45 फीसद अंक प्राप्त किए हों, वे इसके पात्र होंगे। प्रवक्ता नलिनी रंजन के मुताबिक काउंसलिंग के दिन विश्वविद्यालय कुलसचिव के नाम से निर्गत 96 हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट, चार पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, सीईटी का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, आनलाइन भरा हुआ फार्म,जन्म तिथि का प्रमाण पत्र इत्यादि साथ लाना हैं। सीट आवंटन के बाद 8 जून तक वह आवंटन निरस्त कराने के सुविधा विश्वविद्यालय ने दी हैं।

करावल नगर में चार मंजिला इमारत गिरी, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली, 3 जून (संवाददाता)।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में बुधवार शाम को एक चार मंजिला इमारत दरारें पड़ने के बाद ढह गई। पुलिस ने बताया कि हालांकि, इमारत में रहने वाले लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था जिस कारण किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास प्रकाश विहार में इमारत गिरने की सूचना करावल नगर थाने को शाम करीब 6:38 बजे मिली। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय विभाग द्वारा पास के नाले के निर्माण या मरम्मत से संबंधित कार्य किया जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि अपराह्न करीब तीन बजे चार मंजिला इमारत में दरारें दिखाई दीं, जिसके चलते अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर तुरंत इमारत को खाली करा लिया। बाद में इमारत ढह गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि घटना से पहले सभी लोगों को निकाल लिया गया था। दमकल विभाग, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और अन्य एजंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके में निवारक और सुरक्षा उपाय किए। पुलिस ने बताया कि अधिकारी इमारत गिरने के कारणों की जांच कर रहे हैं ।

> **इमारत** में दरारें दिखाई दीं, जिसके चलते अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर तुरंत इमारत को खाली करा लिया।

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क,पूसा रोड
नई दिल्ली-110060

फोन : 011-40591567(एक्सटें.-231)
ई-मेल : delhiarm.kb@ktkbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

अचल संपत्ति की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सार्वजनिक रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो कि कर्जदाता, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के पक्ष में बंधक / चार्ज की गई है, जिसका सांकेतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा 04.02.2026 को ले लिया गया है, उसे (1) मैसर्स सावित्री इंटरनेशनल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिनिधित्व उसकी निदेशक श्रीमती किरण मिश्रा द्वारा, पंजीकृत पताः फ्लैट नंबर 501-502, एफ-56, इरोज अपार्टमेंट, नेहरू प्लेस, दक्षिण दिल्ली-110019, अन्य पताः प्लॉट नंबर 69, ब्लॉक-सी, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, (2) श्रीमती किरण मिश्रा पत्नी श्री अद्वैत रंजन मिश्रा, निवासी सी-2-135, विपुला खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 (3) श्रीमती श्वेता मिश्रा पत्नी श्री हिमांशु रंजन मिश्रा, निवासी डी-26, तीसरी मंजिल, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, दक्षिण दिल्ली-110048 जो उधारकर्ता/गारंटर/सह-देनदार हैं, से कर्नाटक बैंक लिमिटेड,, फरीदाबाद शाखा, एससीओ.149, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद-121001, हरियाणा, सुरक्षित लेनदार को देय पीएस टर्म लोन खाता सं. 2257001800026601 के तहत रु. 4,73,52,132.00 [रुपये चार करोड़ तिहत्तर लाख बावन हजार एक सौ बत्तीस मात्र] की वसूली के लिये "जैसी है जहाँ है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधार पर 07.07.2026 को बिक्री की जायेगी।

अचल संपत्ति का विवरणः

श्रीमती श्वेता मिश्रा के स्वामित्व में फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और भाग, जो कि पूरे बेसमेंट/एलजीएफ,नंबर 69 पर स्थित है, जिसका कवर्ड एरिया 1021.50 वर्ग फुट है, और कुल 300 वर्ग गज की भूमि पर आनुपातिक अविभाजित शेयर के साथ, सामान्य क्षेत्रों और सुख-सुविधाओं पर अधिकारों सहित, ब्लॉक-सी, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 में स्थित है। सीमाएँः पूर्वः प्लॉट नंबर सी-71, पश्चिमः प्लॉट नंबर सी-67-ए, उत्तरः सड़क, दक्षिणः सर्विस लेन।

आरक्षित मूल्य/ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नहीं जा सकतीः रु. 2,57,55,000.00 (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख पचपन हजार मात्र); **जमा करने के लिए धरोहर राशिः** रु. 25,75,500.00 (रुपये पच्चीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ मात्र)

(उधारकर्ता/ बंधककर्ता का ध्यान संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

(यह सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम (8) के उप-नियम (6) के अंतर्गत उधारकर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी मानी जाएगी)

नीलामी की विस्तृत शर्तें और नियम कर्नाटक बैंक की वेबसाइट **www.karnatakabank.com** की लिंक पर "बिक्री के लिये बंधक संपत्ति " शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। ई-नीलामी 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 07.07.2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को **https://bankauctions.in/** पर पंजीकरण कराना होगा और यूजर आईडी तथा मैसर्स 4क्लोजर, 605ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 ,संपर्क नंबर +91-8142000066, 0915160064 ई-मेलः **info@bankauctions.in** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 06.07.2026 को) पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

दिनांकः 02.06.2026
स्थान:नई दिल्ली

हस्ता/-, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिए
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

राइट्स लिमिटेड
(एक नवरत्न सीपीएसई)

पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
वेबसाइटः www.rites.com, ई-मेलः cs@rites.com
सीआईएनः L74899DL1974GOI007227

शेयरधारकों के लिए सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के अंतरण संबंधी सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) तथा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम, 2016) एवं उसके अंतर्गत किए गए वैधानिक संशोधनों के अनुसरण में, कंपनी से यह अपेक्षित है कि अप्रदत्त लाभांश राशि, जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित किए जाने की तिथि से लगातार सात (7) वर्षों की अवधि तक अप्रदत्त एवं अदावाकृत हो, को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और आईईपीएफ नियम, 2016 के अनुसरण में, वे सभी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना है।

जिन शेयरों के लिए लाभांश लगातार सात वर्षों तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत है और जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाना चाहिए, उनके संबंध में शेयरधारकों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट https://www.rites.com/InvestorResource पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹4/- प्रति इक्विटी की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान 19 अगस्त, 2019 को किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश की अप्रदत्त और अदावाकृत राशि को अक्टूबर, 2026 में विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है। जिन धारकों ने लगातार सात वर्षों तक अपना लाभांश प्राप्त/दावा नहीं किया है, उनके संबंधित शेयर भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने हैं।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यदि कोई राशि/शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाते हैं, तो उसके संबंध में उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 तथा आईईपीएफ नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 'विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण' से दावा करना होगा।

'विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण' से प्रतिदाय/शेयरों के संबंध में दावा करने में होने वाली असुविधा से बचने के लिए, जिन शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश से संबंधित वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं/उनके संबंध में दावा नहीं किया है/प्राप्त नहीं किया है, वे अपने दावे आरटीए अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062, दूरभाषः (011) 29961281, 29961283, फैक्सः (011) 29961284, ई-मेलः beetalrta@gmail.com एवं rites@beetalfinancial.com या कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, शिखर, प्लॉट संख्या-1, सेक्टर-29, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 में कंपनी के नोडल अधिकारी अर्थात कंपनी सचिव के पास दर्ज करा सकते हैं। शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई दावा हो, तो वह वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतिम लाभांश के लिए 20 सितंबर, 2026 तक या उससे पहले आरटीए/कंपनी को प्राप्त हो जाए, ताकि अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश राशि एवं संबंधित शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित न किए जाएं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैटरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में वे अपनी ई-मेल आईडी तथा अन्य संबंधित ब्यौरे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अद्यतन रखें तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में कंपनी/आरटीए के साथ अपने ब्यौरे अद्यतन रखें।

राइट्स लि. के लिए एवं की ओर से
हस्ता/-
(निखिल अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी
एम. सं.: A42626

दिनांकः 04.06.2026
स्थानः गुरुग्राम

We Shape What Shapes Lives
www.rites.com
Future Ready Not just more of the same; but much more of the New!

इण्डियन ओवरसीज बैंक
प्रीत विहार शाखा
ए 172, नरूला मार्केट के पास प्रीत विहार नई दिल्ली 110092
फोनः 011-44710007, 8925951305 ईमेलः iob1305@iob.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिस पर इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, की बिक्री निम्नलिखित विवरणों के अनुसार **"जहाँ है वहाँ है" "जो है यही है" "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर की जायेगी।

क्रं सं.	उधारकर्ताओं के नाम	24.05.2026 तक इंडियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल संपत्ति का विवरण / ज्ञात बाधाएं यदि कोई हों: ज्ञात नहीं	कब्जे का प्रकार / संपर्क व्यक्ति और मोबाइल नं.	संपत्ति का आरक्षित मूल्य / बयाना जमा राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	श्री गौरव शर्मा (ऋणकर्ताधगिरवीदार), निवासी मकान संख्या बी 18/एस-1, द्वितीय मंजिल, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली 110095 और श्रीमती रितु शर्मा (ऋणकर्ता/गिरवीदार), निवासी मकान संख्या बी 18/एस-1, द्वितीय मंजिल, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली 110095	रु.27,79,068.05 (सत्ताईस लाख उन्न्यासी हजार अड़सठ रुपये और पांच पैसे मात्र) '''अनुबंध दरों पर अतिरिक्त ब्याज और पूर्ण भुगतान की तिथि तक हुए खर्चों/शुल्कों सहित।	श्री गौरव शर्मा और श्रीमती रितु शर्मा के नाम पर पंजीकृत, खसरा संख्या 1076/5/2/135 के प्लॉट संख्या ए-125 पर निर्मित है, दिलशाद एक्सटेंशन संख्या 1 (अब दिलशाद कॉलोनी के नाम से जाना जाता है) में स्थित निर्मित मुक्त धारिता फ्लैट संख्या ए-125/एस-3, द्वितीय मंजिल पर, छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट (यानी 41.81 वर्ग फुट) एलआईजी श्रेणी के अंतर्गत, एक आवासीय इकाई, जिसमें सीढ़ियां, गलियारे और अन्य साझा सुविधाओं के साझा अधिकार शामिल हैं, साथ ही इसके नीचे की भूमि के अविभाजित आनुपातिक मुक्त स्वामित्व अधिकार भी शामिल हैं। **संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं:** **पूर्वः** प्लॉट संख्या ए-124 **पश्चिमः** सड़क **उत्तरः** सड़क **दक्षिणः** सर्विस लेन	**प्रतीकात्मक कब्जा** / **प्रसेनजीत चक्रवर्ती** (8925951305)	रु. 24,00,000/- / रु. 2,40,000/- / रु.25,000/-	07.07.2026 को (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक, बिक्री पूरी होने तक प्रत्येक बार 10 मिनट का स्वतः विस्तार होगा।) / 06.07.2026 को शाम 4.00 बजे तक या उससे पहले

*बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया इस लिंक : **https://baanknet.com** पर जाएं,
*इसे उक्त ऋण के उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और गारंटर/गारंटरों को उपरोक्त तिथि पर ई-नीलामी के आयोजन के संबंध में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-8(6)/ नियम 9(1) के तहत एक सूचना भी माना जा सकता है।
*ई-नीलामी वेब पोर्टल **BAANKNET.com URL: https://baanknet.com** के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
***निरीक्षण की तिथिः** 16.06.2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

तिथि : 29.05.2026 स्थान : नई दिल्ली
अधिकृत प्राधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

Urban Company

अर्बन कंपनी लिमिटेड
(पूर्व में अर्बनक्लैप टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड और अर्बनक्लैप टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
CIN: L74140DL2014PLC274413

पंजीकृत कार्यालय – यूनिट नंबर 08, भूतल, रेक्टेंगल 1, डी4, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली – 110017, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय – 7वीं और 8वीं मंज़िल, गोवर्क्स, प्लॉट 183, राजीव नगर, उद्योग विहार, फेज 1, सेक्टर 20, गुरुग्राम – 122016, हरियाणा, भारत
दूरभाषः +91 11 444 570 56; **ईमेलः** cs@urbancompany.com;
वेबसाइटः www.urbancompany.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यम से आयोजित अर्बन कंपनी लिमिटेड की 12वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अर्बन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में अर्बनक्लैप टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड और अर्बनक्लैप टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) ("कंपनी") की 12वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 30 जून 2026 को प्रातः 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यम ("ओएवीएम") के ज़रिए आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचिबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचिबद्धता विनियम") तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों, जिनमें सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 तथा समय-समय पर इनके विस्तार सहित नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 एवं सेबी परिपत्र संख्या HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 (सामूहिक रूप से "परिपत्र") शामिल हैं, के अनुसार आयोजित की जाएगी। इस एजीएम में उन कार्यों पर विचार किया जाएगा, जिनका विवरण एजीएम की सूचना ("नोटिस") में दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम का नोटिस नियत समय में केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते कंपनी/एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), जो कंपनी का रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") है / डिपॉज़िटरी / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं तथा जिनके नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर और/या डिपॉज़िटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। इसके अलावा, सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन सदस्यों को भी सूचना भेजेगी जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए सटीक वेब लिंक तथा उसका पूरा पाथ दिया जाएगा।

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **https://investorrelations.urbancompany.com/financials** पर भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, यह बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com**, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट **https://evoting.nsdl.com** तथा आरटीए की वेबसाइट **https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html** पर भी उपलब्ध रहेगी। जो सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताते हुए **cs@urbancompany.com** पर कंपनी को लिख सकते हैं।

एजीएम में शामिल होने और भाग लेने से संबंधित विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिना जाएगा।

सदस्यों को नोटिस में दिए गए प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी जाएगी। एजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो सदस्य एजीएम में शामिल होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया होगा, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

ज़िन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे नीचे दिए गए तरीकों से अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं:

1. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को सी-101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400083, महाराष्ट्र, भारत पर या **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com** पर लिखकर अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं। इसके साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर-2 और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जो कंपनी की वेबसाइट **https://investorrelations.urbancompany.com/resources** पर उपलब्ध हैं।

2. डिमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से संबंधित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने से संबंधित निर्देशों सहित नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यह विज्ञापन कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से
अर्बन कंपनी लिमिटेड के लिए
(पूर्व में अर्बनक्लैप टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड और अर्बनक्लैप टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)

हस्ता./-
सोनाली सिंह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता क्रमांकः ए26585

दिनांकः 03 जून, 2026
स्थानः गुरुग्राम